समाचार

नियमों के उल्लंघन पर लगा 7900 रू. जुर्माना

कोरबा 26 सितम्बर 2020 –लाकडाउन के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से निकलकर बाहर घूमने, मास्क न लगाने एवं लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर आज निगम अमले द्वारा विभिन्न जोनांतर्गत 7900 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया, साथ ही इन लोगों को कड़ी हिदायत दी गई कि वे घरों से बाहर निकलकर अनावश्यक रूप से भ्रमण न करें एवं लाकडाउन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें।

नोवल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने एवं इसके नियंत्रण व बचाव की दिशा में जरूरी कदम उठाते हुए जिला प्रशासन द्वारा 23 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक 10 दिनों का लाकडाउन घोषित किया गया है। लाकडाउन का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित हों, इस हेतु निगम का अमला लगातार सक्रिय रहकर लाकडाउन का पालन कराने में जुटा रहा, जिन लोगों द्वारा लाकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया गया उन पर निगम अमले द्वारा आज 7900 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जोनांतर्गत 2100 रूपये, बालको जोनांतर्गत 3300 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 700 रूपये, सर्वमंगला जोन में 900 रूपये, बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 900 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। नगर पालिक निगम कोरबा के कोरबा, टी.पी.नगर, कोसाबाड़ी, रविशंकर शुक्ल जोन सहित बालको, दर्री, बांकीमोंगरा व सर्वमंगला जोन में निगम का अमला सतत रूप से सक्रिय रहकर आज भी लाकडाउन का पालन कराने में जुटा रहा, वहीं बेवजह घूमने, मास्क न लगाने व मेडिकल आदि की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर भी निगम अमले द्वारा कार्यवाही की गई।

निगम क्षेत्र में 554 कोरोना पाजिटिव होम आईसोलेट– नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत सभी 08 जोन के अंतर्गत अभी तक कोविड–19 के बिना लक्षण या कम लक्षण वाले 554 मरीज होम आईसोलेट हैं, कोसाबाड़ी जोन में होम आईसोलेट मरीजों की संख्या अन्य जोनों की अपेक्षाकृत अधिक है, वहीं आईसोलेशन में रहने वाले 10 मरीजों को कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया तथा 07 मरीजों को होम आईसोलेशन से डिस्चार्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जोन में 58, टी.पी.नगर जोन में 49, रविशंकर शुक्ल जोन में 44, कोसाबाड़ी जोन में 194, बालको जोन में 98, दर्री जोन में 65, सर्वमंगला जोन में 22, बांकीमोंगरा जोन में 24 बिना लक्षण या कम लक्षण वाले कोविड–19 के पाजिटिव मरीज होम आईसोलेशन पर हैं। नगर निगम कोरबा के अमले एवं निरीक्षण दल के सदस्यों द्वारा निरंतर होम आईसोलेट मरीजों की सतत निगरानी की जा रही है तथा होम आईसोलेशन की पात्रता रखने वाले नए कोविड–19 के मरीजों को होम आईसोलेशन कराने, उनके घरों में स्टीकर लगाने, उन्हें दवाईयों का किट उपलब्ध कराने सहित अन्य आवश्यक दायित्वों का सजगतापूर्वक निवर्हन निगम अमले द्वारा किया जा रहा है।